न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला सांचौर

(पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार [illegible])

राजस्ववाद सं. 03/2016

वादी

1. हरिसिंह पुत्र बेचरसिंह
2. बाधसिंह पुत्र बेचरसिंह फौत के कायम मुकाम
   क. सुमेरसिंह पुत्र बाधसिंह

   ख. शैतानसिह पुत्र बाधसिंह फौत के कायम मुकाम

      अ. धनपतसिंह पुत्र शैतानसिह ।
      ब. हिमतसिंह पुत्र शैतानसिंह ।
3. रिडमल पुत्र बेचरसिंह फौत के कायम मुकाम–
   क. तनेसिंह पुत्र रिड़मलसिंह जातियान–राजपूत निवासीगण हरियाली तहसील सांचौर जिला–सांचौर राज.

प्रतिवादीगण–

1. जबरसिंह पुत्र लालसिंह।
2. खीवसिंह पुत्र लालसिंह।
3. दौलतसिंह पुत्र मगसिंह।
4. करणसिंह पुत्र मगसिह जातियान–राजपूत निवासीगण– हरियाली तह–सांचौर जिला–सांचौर (राज.)

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राज. काश्तकारी अधि.1955

उपस्थितिः–

1. वकील श्री इब्राहीमशाह वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री ईश्वरसिंह चौहान।
3. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से वकील श्री जालाराम पुनिया।
4. तहसीलदार सांचौर राज पैरोकार।

<u>निर्णय</u>

दिनांक 28/5/2024

1. वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट का वाद पेश कर निवेदन किया गया कि सरहद मौजा–हरियाली पटवार हल्का हरियाली तहसील सांचौर में वादी के खातेदारी कब्जा उपयोग का खेत खसरा नम्बर 1542 रकबा 3.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 2165/1587 रकबा 6.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 2166/1588 रकबा 0.35 हैक्टर कुल रकबा 9.87 हैक्टर के आए हुए है। जिसमें वादीगण का 1/3 हक हिस्सा बनता है। उक्त खातेदार आराजी के अलावा अन्य खातेदार आराजी गांव हरियाली में आई हुई है। जिसके नवीन खसरा नम्बर 1542/2159 रकबा 0.94 हैक्टर है। इस प्रकार उपरौक्त दोनों खातो की भूमि में खसरा नम्बर 2166/1588 रकबा 0.35 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ते की भूमि को छोड़कर बची भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा है जिसपर वादीगण का अपनी सुविधा के अनुसार कब्जा काश्त है। वादीगण उक्त सामलाती भूमि में आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने का प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाने से स्पष्ट इनकार कर दिया तथा बिना बंटवाड़ा के ही उक्त सामालती भूमि किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने की एलानिया

सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

धमकी दी। वादीगण ने जिससे व्यथित होकर हस्तगत वाला खातेदारी भूमि के बंटवाड़ा व जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का अदालत हाजा में पेश किया है।

2. वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण का गांव हरियाली तहसील सांचौर में स्थित खातेदार आराजी नवीन खसरा नम्बर 1542,2165/1587 व 2166/1588 कुल रकबा 9.87 हैक्टर भूमि में 1/3 हक हिस्सा हम प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का है। जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट "ब" में लाल स्याही से दर्शाया हुआ है।

3. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाब मय काउंटर क्लैम पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी में हमारी 1/3 हक हिस्सा है। काउंटर क्लैम के साथ नक्श परिशिष्ट "ब" के अनुसार बटवाड़ा की डिक्रि जारी की जावे।

4. वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये जवाब के अनुसार अदालत हाजा द्वारा निम्न तनकियात कायम की गई–

1. आया वांके सरहद मौजा हरियाली पटवारी हल्का हरियाली तहसील सांचौर में स्थित खेत खसरा नम्बर 1552,2165/1587,1542/2159 व 2166/1588 में वादीगण का 1/3 हिस्सा आया हुआ है। वादीगण अपने बंट व हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा मिट्स एण्ड बाउट्स के करवाने की डिक्रि प्राप्त करने के अधिकारी है–जिम्मे वादीगण
2. आया वादी अपने हक हिस्से की भूमि का शांन्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने एवं कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण दलखअदांजी न करे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्रि वादीगण प्राप्त करने की अधिकारी है– जिम्मे वादीगण
3. आया सरहद मौजा हरियाली तहसील साचौर में स्थित नवीन खसरा नम्बर 1542/2159 व 2165/1587 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त खसरे में बंटवाड़े की डिक्रि प्राप्त करने के अधिकारी है–जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2।
4. आया मौजा हरियाली तहसील सांचौर के नवीन खसरा संख्या 2165/1587,1542/2159 में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का खातेदारी व कब्जा काश्त होने व मौके पर संलग्न नक्शा परिशिष्ट "ब" अलग कब्जा काश्त होने से बंटवाड़ा की डिक्रि जरिये काउंटर क्लैम प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 पाने के हकदार है–जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4।
5. आया वादग्रस्त भूमि में मौके व कब्जे काश्त अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के कब्जे उपयोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी वादीगण स्वंय या किसी अन्य मजदूर वगैरह या परिवार के सदस्य से नही करावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 जरिये काउंटर क्लैम प्राप्त करने का हकदार है– जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4।

उपरोक्त तनकियात कायम करने के बाद वादीगण की और से अदालत हाजा में गवाह पी.डी–1 हरिसिंह, गवाह पी.डी–2 जबरसिंह के बयानात् अदालत में कलम बद्व करवाये तथा दस्तावेज प्रदर्श पी–1 से 3 प्रदर्शित करवाये।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से गवाह डी–1 दौलतसिंह के बयानात अदालत में कलम बद्व करवाकर दस्तावेज प्रदर्श डी–1 से 8 प्रदर्शित करवाये।

मैने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। मौजा हरियाली के खसरा नम्बर 1542,1542/2159, 2165/1587 व 2166/1588 की खातेदारी भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की सामलाती खातेदारी भूमि है। जिसमें वादीगण

सहायक कलेक्टर–सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर

का 1/3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/3 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का 1/3 हिस्सा है। पक्षकारान द्वारा अदालत हाजा में पेश कि गई मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य से उभय पक्षकारान ने अपने कब्जे काश्त के अनुसार बंटवाड़ा की डिक्रि चाही है। तनकी संख्या 01 व 02 वादीगण अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करने में सफल रहे है कि उक्त खातेदारी भूमि में इनका 1/3 हक हिस्सा है तथा हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा की डिक्रि प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी संख्या 03 को साबित करने का भार करने का प्रतिवादी संख्या 01 व 02 पर था। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की ओर से किसी प्रकार मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की। जिसके कारण उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 साबित करने में असफल रहे है। तनकी संख्या

04 व 05 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 पर है। प्रतिवादी संख्या 03 व 04 ने अपने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य में उक्त भूमि सामलाती होने के सबूत पेश किये है लेकिन नक्शा परिशिष्ट "ब" में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिससे साबित हो की प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 का उक्त नक्शे अनुसार ही मौके पर कब्जा काश्त हो।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना अनुसार वादीगण का वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 का काउंटर क्लैम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

वादीगण द्वारा पेश किया गया दावा एवं प्रतिवादीगण 03 व 04 की ओर से पेश किया गया काउंटर क्लैम आंशिक रूप से स्वीकार कर मौजा हरियाली पटवार हल्का हरियाली तहसील सांचौर में स्थित आराजी नवीन खसरा नम्बर 1542,रकबा 3.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 2165/1587 रकबा 6.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 1542/2159 रकबा 0.94 हैक्टर भूमि का बंटवाड़ा हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 के तहत उभय पक्षकारो की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउट्स के आधार पर तहसीलदार सांचौर ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया जो निम्नानुसार है।

क्र.स	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	किस्त	लगान
1 2 3 4 5	सुमेरसिंह पुत्र बाघसिंह 1/6 धनपतसिंह पुत्र शैतानसिंह 1/24 मदनकंवर पुत्री शैतानसिंह 1/24 रसाल कंवर पत्नि शैतानसिह1/24 हिमतसिंह पुत्र शैतानसिह 1/24 तनेसिंह पुत्र रिड़मल पुत्र बेचरसिंह 1/3 हरिसिंह पुत्र बेचरसिह (फौत) 1/3 जातियान–राजपुत साकिन देह खातेदार	1542/2159 में से 2165/1587 में से 1542 में से	0.94 0.48 2.0666	बा.सो. जा.दो बा.सो.	1.41 2.40 3.10

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

क्र.स	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	किस्त	लगान
1	जबरसिंह पुत्र लालसिंह 1/2 खीवसिंह पुत्र लालसिंह 1/2 जातियान–राजपुत साकिन देह खातेदार।	1542 में से 2165/1587 में से	1.2834 2.203	बा.सो. चा.दो. जा.दो	1.93 21.00, 3.51

क्र.स	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	किस्त	लगान
2	दौलतसिंह पुत्र मगसिंह 1/2 जातियान–राजपुत साकिन देह खातेदार	2165/1587 में से	3.4866	चा.दो. जा.दो	28.00 7.43

क्र.स	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	किस्त	लगान
3	करणसिंह पुत्र मगसिंह 1/6 खीवसिंह पुत्र लालसिंह 1/6 जबरसिंह पुत्र लालसिंह 1/6 तनेसिंह पुत्र रिड़मलसिंह 1/9 दौलतसिंह पुत्र मगसिंह 1/6 धनपतसिंह पुत्र शैतानसिंह 1/72 मदनकंवर पुत्री शैतानसिंह 1/72 रसालकंवर पत्नि शैतानसिंह 1/72 सुमेरसिंह पुत्र बाघसिंह 1/18 हरिसिंह पुत्र बेचरसिंह(फौत) 1/5 हिमतसिंह पुत्र शैतानसिह(फौत) 1/72 जातियान–राजपुत साकिन देह खातेदार	2166/1588 में से	035	गे.मु. रास्ता	–

इस प्रकार पक्षकारान को मौके पर कब्जा काश्त अनुसार मिट्स एवं माउण्डस के अनुसार भूमि का बंटवाड़ा कर नक्शे में अलग–अलग रंग भरकर दर्शाये गये है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाति खातेदारी

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

कलेक्टर–सांचौर जिला जालोर

भूमि के खसरा नम्बर 2166/1588 रकबा 0.35 हैक्टयर गैर मुमकिन (शामलाति रास्ता प्रयोजनार्थ) हेतु भूमि दर्शायि गई है।

अतः तहसीलदार सांचौर को निर्णय (अंतिम डिक्री) की प्रति मय नक्शा प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार खातेदारान के हिस्से की आराजी का नक्शा लटठा में अमलदरामद कर तथा पृथक पृथक खाते में दर्ज करे तथा साथ हो । वादीगण तथा प्रतिवादीगण के शामलाती आराजी में दर्शाये गये खसरा नम्बर 2166/1588 रकबा 0.35 हैक्टयर भूमि गैर मुमकिन रास्ता (शामलाती रास्ता प्रयोजनार्थ) तरमीम कर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्रेषित करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना-अपना खर्च स्वंय वहन करें।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 28/5/2024 सर-ए- इजलाज सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर-सांचौर
जिला जालोर